



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2011/चैत्र 23, 1933

No. 631]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2011/CHAITRA 23, 1933

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2011

का.आ. 746(अ).—अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 1 के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्वारा 1 मई, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 1 (1 और 2), 2, 3, (2), 4, 6 से 31, 54, 56 से 92, 95 तथा 96 के प्रावधान लागू होंगे।

[फा. सं. 12(31)/99-आईपीसी (खण्ड V)]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2011

S.O. 746(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2011 as the date on which the provisions of Sections 1 (1 & 2), 2, 3(2), 4, 6 to 31, 54, 56 to 92, 95 and 96 of the said Act shall come into force.

[F. No.12(31)/99-IPC (Vol. V)]

N. KAVI SHANKER, Jt. Secy.